# झारखण्ड विधान सभा

## अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

**चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा**
**पंचम–सत्र**
**वर्ग–04**

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक– 29 माघ, 1937 (श0) / 18 फरवरी, 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

| क्रमांक | विभागों को भेजी गई सां0 सं0 | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 21. | अ0सू0–06 | श्री सुखदेव भगत | कुपोषण दूर करना | महि0बा0वि0 एवं सा0सु0 | 06.02.16 |
| 22. | अ0सू0–02 | श्री राधाकृष्ण किशोर | गाँवों का विद्युतीकरण | ऊर्जा | 06.02.16 |
| 23. | अ0सू0–13 | श्री राज कुमार यादव | राशन कार्ड मुहैया कराना | खाद्य,सर्व0वि0 एवं उप0मा0 | 11.02.16 |
| 24. | अ0सू0–10 | श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता | कृषि ऋण माफ करना | कृषि,पशु0एवं सहकारिता | 06.02.16 |
| 25. | अ0सू0–04 | श्री जगरनाथ महतो | कोनार नहर परियोजना चालू कराना | जल संसाधन | 06.02.16 |
| 26. | अ0सू0–21 | श्री अमित कुमार | विसंगति दूर करना | खाद्य,सर्व0वि0 एवं उप0मा0 | 12.02.16 |
| 27. | अ0सू0–07 | श्री सुखदेव भगत | धान क्रय केन्द्र खोलना | कृषि,पशु0एवं सहकारिता | 06.02.16 |
| 28. | अ0सू0–05 | श्री आलमगीर आलम | उत्पादन में बढ़ोत्तरी के उपाय | कृषि,पशु0एवं सहकारिता | 06.02.16 |
| 29. | अ0सू0–08 | श्री योगेश्वर महतो | विद्युत परियोजना को चालू कराना | ऊर्जा | 06.02.16 |
| 30. | अ0सू0–15 | श्री प्रदीप यादव | निगरानी जाँच | कृषि,पशु0एवं सहकारिता | 11.02.16 |
| 31. | अ0सू0–01 | श्री राधाकृष्ण किशोर | योजना को पूरा कराना | ऊर्जा | 06.02.16 |

रॉंची
दिनांक–18 फरवरी, 2016 ई0।

**बिनय कुमार सिंह**
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2016-.......860......./वि0स0, राँची, दिनांक- 15 फरवरी, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मनोहर लकड़ा 15.02.16

**(मनोहर लकड़ा)**

अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2016-......860......./वि0स0, राँची, दिनांक- 15 फरवरी, 2016 ई0।

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय झारखण्ड विधान-सभा, राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय, अपर सचिव(प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

मनोहर लकड़ा 15.02.16

अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

दुर्गा 14.02.16

एक्का/-

(21)

## दिनांक–18.02.2016 को श्री सुखदेव भगत, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–06 का उत्तर

| क्रम | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में जन्म लेने वाले 8 लाख बच्चों में सवा दो लाख बच्चे कम वजन के हो रहे हैं और इसमें से 46 हजार बच्चों की मौत कुपोषण के कारण पहले साल में ही हो जा रही है। | आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है।<br>अप्रैल 2015 में वजन पखवाड़ा में एकत्रित आंकड़ा के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र में कुल 34,26,068 बच्चे–बच्चियाँ नामांकित थे, जिसमें 3008904 बच्चों का वजन किया गया। इस आधार पर 6,87,456 (22.84%) बच्चे कुपोषित एवं 41600 (1.38%) बच्चे कम वजन वाले पाये गये। कुपोषण से बच्चों की होने वाली मौत से संबंधित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। |
| 2. | यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कुपोषण को दूर करने हेतु आवश्यक उपाय करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ? | राज्य सरकार के द्वारा कुपोषण मुक्त झारखण्ड बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किये जा रहे है :–<br>1. झारखण्ड पोषण मिशन का गठन :–<br>इसके अन्तर्गत पूरे राज्य के कुपोषित बच्चों को चिन्हित करना तथा कुपोषण के विभिन्न कारणों में हस्तक्षेप के लिए कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं।<br>2. RTE एवं गर्म ताजा पका भोजन का वितरण<br>राज्य सरकार के द्वारा कुपोषण दूर करने हेतु 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को RTE (पूरक पोषाहार) तथा 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म ताजा पका पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।<br>3. अति कुपोषित बच्चों का MUAC Tape से बाँह माप लिया जाता है एवं तदनुसार अतिकुपोषित बच्चों को मापदण्ड के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न चयनित सरकारी अस्पतालों में अवस्थित 86 कुपोषण उपचार केन्द्रों (MTC) में उपचार हेतु भेजा जाता है। |

## झारखण्ड सरकार
## महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/वि0स0–49/2016 – 435 राँची, दिनांक : 16-02- 2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–145/वि0स0 दिनांक–06.06.2016 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2

(राजेश इ0 पात्रो)
सरकार के उप सचिव।

(52)

श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.02.2016 को पूछे जाने वाले
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-02 की उत्तर प्रतिवेदन

| प्रश्नकर्त्ता<br>श्री राधा कृष्ण किशोर,<br>मा०स०वि०स० | उत्तरदाता<br>विभागीय मंत्री |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 2662.61 करोड़ रूपये की लागत से झारखण्ड प्रदेश के 27174 गांवों तथा 7462 टोलो का विद्युतीकरण किया जाना था ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 10वीं एवं 11वीं योजना के अन्तर्गत 18803 अविद्युतीकृत ग्राम एवं 6027 विद्युतीकृत ग्राम के अविद्युतीकृत टोला को शामिल किया गया था एवं उक्त योजना की लागत 3523.60 करोड़ है। लक्ष्य के विरूद्ध 18055 अविद्युतीकृत एवं 5610 विद्युतीकृत ग्राम के अविद्युतीकृत टोला का विद्युतीकरण जनवरी 2016 तक पूर्ण कर लिया गया है। |
| 2. क्या यह बात सही है कि खंड 1 में वर्णित योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर 2016 तक 2090 गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ; | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के 03 वर्षों के बाद भी दिसम्बर 2015 तक शेष 2090 गांवों का विद्युतीकरण नहीं किये जाने के क्या कारण है तथा शेष 2090 गांवों का विद्युतीकरण सरकार कब तक पूरा कराना चाहती है ? | लातेहार, गढ़वा एवं पलामू जिला में ग्रामों का कार्य मेसर्स आई0भी0आर0सी0एल0 द्वारा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत कराया जा रहा था, लेकिन संवेदक द्वारा वर्ष 2011-12 में अचानक कार्य बन्द कर दिया गया। संवेदक के एकरारनामा को पत्रांक 560/आर0ई0 दिनांक 23.09.15 के द्वारा निरस्त करते हुए संवेदक को काली सूची में डाल दिया गया एवं छूटे हुए कार्य को विभागीय स्तर पर ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य को आर0ई0सी0, नई दिल्ली से स्वीकृति के उपरांत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2015 तक कुल 18008 अविद्युतीकृत गाँव एवं 5608 अविद्युतीकृत टोलों का विद्युतीकरण किया गया। शेष 795 अविद्युतीकृत ग्राम एवं 419 टोलों 1214 के विरूद्ध 47 ग्राम एवं 2 टोलों का विद्युतीकरण जनवरी 2016 में पूर्ण किया गया । शेष 01. 02.2016 को अविद्युतीकृत गाँव एवं टोलों के विद्युतीकरण का लक्ष्य की विवरणी निम्न है :- |

| क्र.सं. | योजना | ग्राम | टोला | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | दिनांक-01.02.2016 को शेष अविद्युतीकृत गाँव/टोला | 748 | 417 | 1165 |
| 2. | वर्ष 2015-16 में मार्च 2016तक विद्युतीकरण का लक्ष्य | 313 | 143 | 456 |
| 3. | वर्ष 2016-17 में अगस्त तक विद्युतीकरण का लक्ष्य | 435 | 274 | 709 |

**झारखण्ड सरकार,**
**ऊर्जा विभाग**

ज्ञापांक............................/ दिनांक 17/2/16

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/16
सरकार के अवर सचिव

23

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–13 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री राजकुमार यादव,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् अब तक राज्य के 30 प्रतिशत उपभोक्ताओं को राशन कार्ड नहीं मिला है, जिसमें 20 प्रतिशत मध्यम को परिवार किरासन तेल के लिए किल्लत है; | अस्वीकारात्मक। |
| (2) क्या यह बात है कि इन कारणों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के परिधि में आने के बावजूद ये सभी परिवार उक्त सुविधाओं से वंचित है; | जहाँ गड़बड़ी पायी जाती है वहाँ कार्रवाई की जाती है। |
| (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत छूटे हुए लाभुकों को राशन कार्ड मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया है कि छुटे हुये पात्र लाभुकों का आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाय। सभी आवेदन प्राप्त कर लेने के बाद सत्यापनोपरान्त पुनः विभागीय पोर्टल पर डाटा इन्ट्री कर नया राशन कार्ड निर्गमन किया जा सकेगा। लाभुकों का आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित समय सीमा दिनांक 15.02.2016 तक निर्धारित की गई है। |

ह0/–
(रवि रंजन),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 20/2016 585 /राँची, दिनांक 17.02.16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 409, वि0स0, दिनांक 11.02.2016 केक्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(24)

**श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–10 का प्रश्नोत्तर।**

| प्रश्नकर्त्ता– श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स0वि0स0 | | उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग |
|---|---|---|
| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य लगातार सुखाड़ का दंश झेल रहा है; | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति में किसानों के हित को ध्यान में रखकर कोई कल्याणकारी योजना नहीं चलायी जाती है; | राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य स्तर पर इसका आकलन करने हेतु प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसकी बैठक दिनांक– 19.11.2015 को हुई। उक्त बैठक में सुखाड़ से निपटने हेतु किसानों के हित को ध्यान में रखकर कई कल्याणकारी योजनाएँ चलाने का निर्णय लिया गया यथा–फसल बीमा प्रीमियम राशि किसानों को वापस करना, सिंचाई व्यवस्था हेतु पम्प सेट एवं चेक डैम का निर्माण, बीज पर अनुदान की राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने, सौर ऊर्जा चालित पम्प सेटों का वितरण, डीजल पर अनुदान, तालाबों का गहरीकरण, किसान पोर्टल का निर्माण जिससे किसानों को उपयोगी सूचनाएँ उपलब्ध हो सके, कृषि उपकरण बैंक की स्थापना। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है ताकि किसान आवश्यकतानुसार बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकें। साथ हीं अन्य संबंधित विभागों द्वारा भी किसानों के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं (टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही संलग्न) |
| 3 | क्या यह बात सही है कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति से निबटने के लिए किसानों के सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ नहीं किया गया है; | राज्य में घोषित सुखाड़ के क्रम में बैंको द्वारा प्रदत्त कृषि ऋण में प्रदेय Relief Measures के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना–सह–वित्त विभाग), झारखण्ड, राँची से झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में कृषि वित्तीय वर्ष 15–16 के दौरान फसल क्षति प्रतिशत का जिलावार आँकड़ा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस क्रम में विभाग द्वारा भी उक्त आँकड़ा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को उपलब्ध कराने हेतु अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना–सह–वित्त विभाग), झारखण्ड, राँची से अनुरोध करने की कार्रवाई की जा रही है। |
| 4 | क्या यह बात सही है कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति में किसानों को पेंशन के रूप में 3000 (तीन हजार) रूपये प्रतिमाह प्रति किसान का भुगतान नहीं किया जा रहा है; | आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत राज्य आपदा मोचन निधि संबंधी मद एवं मापदण्ड के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस मद एवं मापदण्ड में किसानों को पेंशन उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। |
| 5 | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य के सभी किसानों को सब प्रकार का कृषि ऋण माफ करते हुए तीन हजार रूपये प्रतिमाह, प्रति किसान भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | उपरोक्त खण्ड 3 एवं 4 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

**झारखण्ड सरकार**

**कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग**

**(कृषि प्रभाग)**

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–13/2016 541 कृ0,राँची,दिनांक– 17-02-16

**प्रतिलिपिः–** अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–114 दिनांक–06.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(25)

**श्री जगरनाथ महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो जिलान्तर्गत कोनार नहर परियोजना वर्ष 1975 में शुरू हुआ था ; | योजना कार्य वर्ष 1977–78 में प्रारम्भ हुआ। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि कोनार नहर परियोजना विष्णुगढ़, बगोदर, डुमरी और नावाडीह प्रखंड को 62,790 हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना थी ; | इस योजना की कुल सिंचाई क्षमता 62,955.60 हे० है। योजना पूर्ण होने पर हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़, गिरिडीह जिला के बगोदर एवं डुमरी तथा बोकारो जिला के नवाडीह प्रखण्ड को सिंचाई की जा सकेगी। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि इस योजना की लागत 11,43,00,000.00 रू० था ; | स्वीकारात्मक। |
| 4. | क्या यह बात सही है कि वर्ष 1999 में अध्यतन प्रशासनिक स्वीकृति रू० 3,48,38,00,000 की हुई थी और मार्च 2012 तक रू० 2,40,00,00,000 राशि खर्च की जा चुकी है ; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति रू० 34837.60 लाख के लिये बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के पत्रांक–52 दिनांक 13.09.1999 के द्वारा संसूचित है।<br>मार्च 2012 तक रू० 19128.138 लाख व्यय हुआ है। |
| 4. | यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोनार नहर परियोजना चालु कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | योजना की कार्य प्रगति में है, इस योजना से खरीफ 2017 में आंशिक सिंचाई प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। |

## झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग

**ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–01/16 –** 885 **/राँची, दिनांक** 16/02/16

**प्रतिलिपि** :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 135 दिनांक 06.02.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/16

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(26)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–21 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अमित महतो,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि लाल कार्ड के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति 05 किलो ग्राम तथा पीला कार्ड धारियों को प्रति कार्ड 35 किलो ग्राम चावल दिया जाता है; | स्वीकारात्मक।<br>राज्य में माह अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दी गई है जिसके अन्तर्गत पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ (गुलाबी कार्ड) के प्रत्येक सदस्य को 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह एवं अन्त्योदय परिवार (पीला कार्ड) को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह प्रति परिवार की दर से आवंटित की गई है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में लाल कार्ड एवं पीला कार्ड बनने में हुई गड़बड़ी में सुधार का अधिकार ग्राम सभा के द्वारा वार्ड को दिया गया है; | अस्वीकारात्मक। |
| (3) क्या यह बात सही है कि सरकार सर्वे किये गये एजेंसी पर कार्ड बनाने में की गयी गलती पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है; | अस्वीकारात्मक।<br>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों का चयन SECC Data के आधार पर ग्राम सभा/वार्ड स्तरीय आम सभा के अनुमोदनोपरान्त किया गया है। इसके अतिरिक्त छूटे लाभुकों से आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए सत्यापनोपरान्त पात्र लाभुकों का चयन किया गया है।<br>वर्तमान में वैसे लाभुक जो पात्र हैं परन्तु अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए लाभुकों के चयन का कार्य किया जा रहा है। इस परिपेक्ष्य में दिनांक 15.02.2016 तक आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हैं। साथ ही वैसे लाभुक जो अपात्र हैं उनको लाभुकों की सूची से हटाये जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। |
| (4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गलत सर्वे किये लोगों पर कार्रवाई करने के साथ ही कार्ड बनने में हुई विसंगति को कब तक दूर करना चाहती है, नहीं तो क्यों ? | |

ह0/–
(रवि रंजन),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 21/2016 580 /राँची, दिनांक 17.02.16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 722, वि0स0, दिनांक 12.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(27)

# झारखण्ड सरकार
## खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सुखदेव भगत,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि राज्य में धान क्रय केन्द्रों की पर्याप्तता के अभाव में किसान धान की बिक्री बिचौलियों के माध्यम से कर रहे है, जिससे किसानों का सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 1410 रू० प्रति क्विंटल की राशि नहीं मिल पा रही है; | अस्वीकारात्मक।<br>किसानों की सुविधा को देखते हुए प्रखण्ड स्तर पर आवश्यकतानुसार एक से अधिक अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने का सभी जिलों को निदेश दिया गया है। राज्य के 13 जिलों में अधिप्राप्ति का कार्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि० द्वारा तथा 11 जिलों में भारतीय खाद्य निगम एवं प्राईवेट प्लेयर्स द्वारा किया जा रहा है। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि० द्वारा 197 अधिप्राप्ति केन्द्र तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 22 अधिप्राप्ति केन्द्र एवं प्राईवेट प्लेयर्स एन०सी०एम०एल० द्वारा 112 अधिप्राप्ति केन्द्र कुल 331 अधिप्राप्ति केन्द्र राज्य में खोले जा चुके हैं। सभी अधिप्राप्ति केन्द्रों द्वारा अधिप्राप्ति का कार्य किया जा रहा है। |
| (2) यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड स्तर पर धान क्रय केन्द्र खोलने एवं इसे व्यवहार में कारगर बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | प्रखण्ड स्तर पर अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने एवं अधिप्राप्ति कार्य का विभाग से नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है। |

ह0/–
(रवि रंजन),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 13/2016 542 /राँची, दिनांक 16.02.16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (कृषि प्रभाग) झारखण्ड, राँची के पत्रांक 504, दिनांक 15.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विषयांकित प्रश्न कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजा गया था, लेकिन प्रश्न इस विभाग से संबंधित होने के कारण कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा इस विभाग को अंतरित किया गया है। इसलिए उक्त प्रश्न का उत्तर प्रतिवेदन इस विभाग द्वारा भेजा जा रहा है। कृपया उत्तर प्रतिवेदन स्वीकार की जाय।

सरकार के उप सचिव।

(28)

**श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–05 का प्रश्नोत्तर।**

| प्रश्नकर्त्ता–श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 | | उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग |
|---|---|---|
| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में प्रतिवर्ष 70 लाख टन की चावल की आवश्यकता है; | स्वीकारात्मक |
| 2 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में प्रतिवर्ष औसतन 46 लाख टन धान का उत्पान है, जबकि वर्ष 2015 में सूखाइ की वजह से मात्र 30 लाख टन धान की पैदावार हुयी है; | द्वितीय पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2015 में लगभग 34.56 लाख टन धान उत्पादन की संभावना है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धान के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपाय करने का विचार रखती है, हाँ तो अब तक नहीं तो क्यों? | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, द्वितीय हरितक्रांति योजना धान की "श्री विधि" इत्यादि योजना के द्वारा राज्य में धान का उत्पादन बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। ज्ञातव्य हो कि राज्य में धान का उत्पादन में वर्ष 2009–10 में 14.70 लाख एम0टी0 था, जो वर्ष 2014–15 में बढ़कर 43.67 लाख एम0टी0 हो गया है। |

**झारखण्ड सरकार**

**कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग**

**(कृषि प्रभाग)**

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–19/2016 510 कृ0,राँची,दिनांक– 16-02-16

**प्रतिलिपिः**–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–112 दिनांक–06.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16-2-16

(राम प्रसाद साय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–19/2016 510 कृ0,राँची,दिनांक– 16-02-16

**प्रतिलिपिः**–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव,सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16-2-16

सरकार के संयुक्त सचिव

(29)

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.02.2016 को पूछा जानेवाला

अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-08 की उत्तर प्रतिवेदन

| प्रश्नकर्त्ता<br>श्री योगेश्वर महतो, मा०स०वि०स० | उत्तरदाता<br>विभागीय मंत्री |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड निर्माण के बाद नीतिगत निर्णय के अभाव में जल विद्युत परियोजना की कुल 12 ईकाईयाँ खटाई में पड़ी हुई है ; | आंशिक स्वीकारात्मक है।<br>झारखण्ड सृजन के समय B.S.H.P.C. (बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन) द्वारा झारखण्ड में 08 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा था। |
| 2. क्या यह बात सही है कि बहुत कम लागत से बिना प्रदूषण के उक्त परियोजनाओं के संचालन से विद्युत उत्पादन कर राज्य में विद्युत की कमी को पुरा किया जा सकता है ; | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 3. क्या यह बात सही है कि तेनुघाट जल विद्युत परियोजना–1 मेगावाट एवं चांडिल जल विद्युत परियोजना–10 मेगावाट बनकर 10 वर्ष पूर्व से तैयार है, बाकी 10 जल विद्युत परियोजनाओं में कुछ निर्माण कार्य बाकी है ; | **(क)** बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एवं तत्कालीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड) के बीच तेनुघाट एवं चांडिल जल विद्युत परियोजना से विद्युत क्रय हेतु पावर क्रय एकरारनामा हस्ताक्षर किया गया है। बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा प्रोजेक्ट का कार्य सम्पन्न करने हेतु रूपये 10 करोड़ की माँग की गयी थी जिसे बिल में समायोजित करना था। बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को रूपये 05 करोड़ अग्रिम के रूप में दिनांक–02.11.2012 को भुगतान किया जा चुका है। लेकिन अभी तक बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। विदित हो कि एकरारनामा के अनुसार प्रथम किस्त के रूपये 5 करोड़ के प्राप्ति के उपरांत बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन को पहले चरण के 4 मेगावाट यूनिट से बिजली उत्पादन कर तदेन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली उपलब्ध कराना था जिसमें रू॰ 5 करोड़ मूल्य तक के बिजली विपत्र का समायोजन करना था। प्रथम चरण के ईकाई के उत्पादन के छः महिने के उपरांत द्वितीय चरण के 4 मेगावाट का उत्पादन बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के द्वारा करना था जिसके मद में रूपये 5 करोड़ के दूसरी किस्त तदेन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा देय थी, परंतु प्रथम चरण के यूनिट 4 मेगावाट से ही उत्पादन शुरू नहीं हो सका और रू॰ 5 करोड़ बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के यहाँ बकाये के रूप में लंबित है। बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा किसी भी यूनिट से पावर उपलब्ध अभी तक नहीं हुआ है।<br>**(ख)** कंडिका(1) में उल्लेखित 8 परियोजनाओं में से शेष 6 परियोजनाओं में आंशिक कार्य हुए हैं। |
| 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार एवं झारखण्ड को स्वामित्व की लड़ाई को खत्म कर जनोपयोगी विद्युत उत्पादन के हाईडल प्रोजेक्ट कॉपोरेशन की सभी ईकाईयों को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | स्वामित्व/अस्तियों के हस्तान्तरण के बिन्दु पर बिहार सरकार से वार्ता कर समाधान निकालने हेतु यथोचित कार्रवाई की जा रही है। |

**झारखण्ड सरकार,**

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 463 /

दिनांक 17-02-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव 17-2-16

(30)

**श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–15 का प्रश्नोत्तर।**

| प्रश्नकर्त्ता– श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 | | उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग |
|---|---|---|
| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
| 1 | क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में खरीफ फसल "धान" के बीज वितरण में काफी गड़बड़ी हुई थी; | अस्वीकारात्मक |
| 2 | क्या यह बात सही है कि बीज वितरण गड़बड़ी में विभागीय जांचोपरांत गड़बड़ी को सही पाया गया था; | अस्वीकारात्मक |
| 3 | क्या यह बात सही है कि विभाग ने गड़बड़ी पर परदा डालने के लिए मात्र दो छोटे बीज आपूर्तिकत्ताओं को काली सूची में डालकर खानापूर्ति कर दिया गया था; | अस्वीकारात्मक |
| 4 | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बीज वितरण गड़बड़ी का निगरानी जांच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | प्रश्न नहीं उठता है। |

**झारखण्ड सरकार**

**कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग**

**(कृषि प्रभाग)**

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–22/2016 544 कृ0,राँची,दिनांक– 17-02-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–425 दिनांक–11.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-2-16

(राम प्रसाद साय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/कृ0वि0स0(बजट सत्र)–22/2016 544 कृ0,राँची,दिनांक– 17-02-16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-2-16

सरकार के संयुक्त सचिव

(31)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.02.16 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-01 की उत्तर प्रतिवेदन

| प्रश्नकर्त्ता<br>श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स० | उत्तरदाता<br>विभागीय मंत्री |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के 30 शहरों में संरचित ऊर्जा विकास पुर्ननिर्माण योजना (RAPDRP) के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में पार्ट 'A' के लिए 225.72 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी; | स्वीकारात्मक है। |
| 2. क्या यह बात सही है कि संचरित ऊर्जा विकास पुननिर्माण (RAPDRP) पार्ट 'A' के लिए चयनित 30 शहरों में उक्त योजना को दिसम्बर 2012 तक पूरा कर लिया जाना था, जबकि 19 शहरों में उक्त योजना का क्रियान्वयन 30 जनवरी 2016 तक पूरा नहीं किया गया था; | आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। संरचित ऊर्जा विकास पुनर्निर्माण (R-APDRP) के लिए चयनित 30 शहरों में उक्त योजना को सितम्बर 2012 तक पूरा कर लिया जाना था। नोडल एजेंसी (PFC) के द्वारा पुनः 2 साल की अवधि विस्तार सभी राज्यों को दिया गया। जिसके तहत् झारखण्ड राज्य को भी माह सितम्बर 2014 तक कार्य पूर्ण करना था। आग्रह पर पुनः एक साल की अवधि विस्तार माह सितम्बर 2015 तक की गई। कार्य पूर्ण करने हेतु माह मार्च 2016 तक अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है। 22 शहरों यथाः **लोहरदगा, गोड्डा, दुमका, मधुपुर, पाकुड़, गुमला, घाटशिला, सिमडेगा, सौन्दा, साहेबगंज, चाईबासा, गोमिया, फुसरो, चक्रधरपुर, पतरातू, चतरा, हजारीबाग, मिहिजाम, मुसाबनी, बोकारो, रामगढ़ एवं झुमरीतिलैया** का Go-Live 30 जनवरी 2016 तक कर लिया गया है। |
| 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो संचरित ऊर्जा विकास पुर्ननिर्माण (RAPDRP) योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित समय दिसम्बर 2012 तक पूरा नहीं किये जाने के क्या कारण है तथा सरकार उक्त योजना को कब तक पूरा कराना चाहती है? | योजना सितम्बर 2009 में स्वीकृत की गई एवं नॉडल एजेन्सी PFC द्वारा क्रियान्वयन पूरा करने का लक्ष्य सितम्बर 2012 निर्धारित किया गया था। यह काम PFC के अधीन empanelled IT consultant एवं IT Implementing Agency के द्वारा कराया जाना था। निविदा प्रक्रिया के तहत् IT consultant एवं IT implementing Agency को कार्यादेश देने की प्रक्रिया मार्च 2011 में पूरी की गई। IT Implementing Agency द्वारा सभी प्रक्रियाओं को पूरी करने के उपरान्त माह अगस्त 2011 से कार्य शुरु किया गया। इनके द्वारा 18 माह में कार्य पूरा किया जाना था। चूँकि यह बिल्कुल नई योजना थी जिसके तहत् कार्य में कई प्रकार की बाधाएँ आई, अतः सभी राज्यों के प्रगति को मद्देनजर रखते हुए PFC द्वारा 2 साल की अवधि विस्तार दिया गया। इसके तहत् झारखण्ड राज्य के लिए लक्ष्य का निर्धारण माह् सितम्बर 2014 किया गया। कार्य पूरा नही होने के फलस्वरुप पुनः उक्त अवधि का विस्तार अनुरोध पर माह सितम्बर 2015 तक PFC के द्वारा प्रदान की गई। माह सितम्बर 2015 तक 17 शहरों का Go-Live कर लिया गया। शेष शहरों के कार्य पूरा करने हेतु अवधि विस्तार माह मार्च 2016 तक के लिए PFC से अनुरोध किया गया है।<br>अतः उक्त योजना को माह मार्च 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। |

**झारखण्ड सरकार,**
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 433 / दिनांक 16/2/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/16
सरकार के अवर सचिव